FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

ताजाराम बनाम डेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ काश्त॰ 251 (A) RTAct नं. 296/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री धमनाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251(A) RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/01/18 को पेश हो। [signature]	
29/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 25 की ओर से वकील श्री पूनमाराम चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 3 से 24 की ओर से अण्डर टेकिंग ली गई, अतः वास्ते जवाब व वकालातनामा हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 05/03/18 को पेश हो। [signature]	विप्रा॰ क्र॰ 3 से 24 तक अण्डरटेकिंग ली गई [signature]
05/03/18	अधिवक्तागण रेफरेन्स के होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/04/18 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

17/04/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 9, 11 से 19 व 22, 23 तथा 25 की ओर से वकील श्री पूनमाराम चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 10 व 24 की ओर से वकालतनामा व जवाब आईन्दा पेश करना चाहते है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 04/06/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

04/06/18 पत्रावली आज ग्रा.प. परेऊ कैम्प कोर्ट में रखी गई व तलबी फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगणों के अधिवक्ता द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई आईन्दा करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/07/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

30/07/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षी संख्या 1 से 25 स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की आवेदन व मौका रिपोर्ट पर एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी का आवेदन व मौका रिपोर्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 296/2017

दिनांक :– 30.07.18

प्रार्थी

1. ताजाराम पुत्र मालाराम
2. केसाराम पुत्र मालाराम
3. अचलाराम पुत्र मालाराम
4. भगवानाराम पुत्र मालाराम
5. मगराज पुत्र मालाराम

जातियान् जाट निवासीयान् बेनिवालों की ढाणी, परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र शेराराम
2. अचलाराम पुत्र ताजाराम
3. गेहरों पत्नी ताजाराम
4. खेताराम पुत्र दुर्गाराम
5. तिलाराम पुत्र दुर्गाराम
6. आदूराम पुत्र दुर्गाराम
7. अमराराम पुत्र दुर्गाराम
8. पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम
9. चतरूदेवी पत्नी दुर्गाराम
10. मिरगों पत्नी खरताराम
11. हीराराम पुत्र अणदाराम
12. वालाराम पुत्र अणदाराम
13. हराराम पुत्र अणदाराम
14. चेनाराम पुत्र अणदाराम
15. राणाराम पुत्र केहराराम
16. माडूदेवी पत्नी केहराराम
17. गेनाराम पुत्र वागाराम
18. खीयाराम पुत्र सोनाराम
19. गुमनाराम पुत्र सोनाराम
20. दमाराम पुत्र सोनाराम
21. पुरखाराम पुत्र सोनाराम
22. सकूदेवी पत्नी सोनाराम
23. रावताराम पुत्र पदमाराम
24. सताराम फौत के का. मु.

24/1. जेठाराम पुत्र सताराम
24/2. राजूराम पुत्र सताराम
24/3. पेम्पों पत्नी सताराम

25. वालाराम पुत्र पदमाराम

जातियान् जाट निवासीयान् बेनिवालों की ढाणी, परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

26. तहसीलदार, गिड़ा

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

3

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) of section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री घमण्डाराम सारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 197 ग्राम बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 332/196 में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की ओर से वकील श्री पूनमाराम चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक परेउ द्वारा मौका स्थल पर पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। भू अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 197 तक पहुंचने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है। न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में मार्ग चल नहीं रहा है। मौके पर कोई निर्माण नहीं है। सड़क से कम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00.07 बीघा है। मौके की जांच का प्रतिवेदन तहसीलदार गिड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील विप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 197 से मुख्य सड़क तक मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते से आता जाता रहा है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर

सहायक कलक्टर (SDO)
जायल

Scanned by CamScanner

मौका रिपोर्ट अनुसार 00.07 बीघा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 197 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 332/195 में से होकर खसरा नम्बर 197 तक पहुंचने हेतु 00.07 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 17550/- से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थीगण को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 00.07 बीघा की राशि 12285/- तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 12285/- नियमानुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 24 को हिस्से अनुसार भुगतान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(हेतराम चौहान)
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु